

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नाम्न व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख  
में है

उक्त आराजीयात प्रकीर्ण की  
पैत्रिक आराजी है। जिस पर काबिज रहकर  
कार्य करते चले आ रहे हैं। तथा सन् 2071 से 2075 की जमावत में मे  
री आराजीयात के नाम खालेदागी 1/3-1/3  
की दर है कि आधा (वय 2075 में हमारे  
नाम की जमावत शुरुआत पानी खमिहिरे  
मानाहिरे पुत्र सेदुराम दर का (डिपोजिट)  
जो आज तक आ रहा है उक्त जमावत  
मात्र को पूरा दर अन्तर्गत शुद्ध करने  
बन्द निवेदन किया गया।

इस बावद तहसील दफ्तर मुल्कात में  
लिखित बयान की गई। परन्तु एवं  
तहसील दफ्तर लिखित का खालेदान किया  
गया तथा वहाँ अन्तर्गत वय 2075 में  
किया गया।

उक्त के आधुनिक दर आराजीयात पर  
आराजीयात 2071 की काबिज जानी अन्तर्गत  
समझते हैं।

अतः आराजीयात पर वही काबिज जमावत  
तहसील दफ्तर मुल्कात में अन्तर्गत किया जाता है कि  
आराजीयात 2071 रकम 0.0500, 448 रकम 0.3400,  
449 रकम 0.2800 के काबिज नाम अन्तर्गत  
तहसील मुल्कात में आराजीयात का नाम खालेदान  
में जमावत इन्फाज नाम शुरुआत पानी खमिहिरे  
का मानाहिरे पुत्र सेदुराम के लिये वय 2075  
नाम का शीला पानी रतन लाल व सुनील पुत्री  
रतन लाल राज लाल पिकरि में वृद्ध किया जाने  
परन्तु वही परन्तु वय 2075 में वय 2075 में  
के नाम के वय तहसील जमावत। दफ्तर मुल्कात में

दे  
(राधेश्याम शीला)  
उपरोक्त अन्तर्गत  
मुल्कात